प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 111/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 2019 – दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जारी किया है। इन विनियमों और बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार, संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया को 11 नवंबर, 2019 से लागू किया जाना है।

3. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ 21 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर 2019 को हुई बैठकों के दौरान हुई चर्चा के अनुसार, यह जरूरी है कि नई प्रक्रिया को अपनाने से पहले विस्तृत परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया जाए ताकि प्रणाली संबंधी किसी समस्या के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा न हों। हालांकि, यह देखा गया कि दूरसंचार ऑपरेटरों एवं एमएनपी सेवा प्रदाताओं की ओर से कुछ तकनीकी मसलों के कारण पिछली समयसीमाओं का पालन नहीं किया जा सका था।

4. तदनुसार, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करने की तिथि को स्थगित करने की जरूरत है। सटीक तिथि यथोचित समय पर सूचित की जाएगी। अतः मोबाइल नंबर की पोर्टिंग मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी और यह 4 से 10 नवंबर, 2019 तक प्रभावित नहीं रहेगी।

5. स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 फैक्स नंबरः+91-11-23232677 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>